लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

प्रेषक,	सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता, (मानचित्र सेल) लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्याः 193/AA मान्चित्र/2018 दिनांक 18-05-2018	मैसर्स न्यू इंजीनियरिर्स इण्डिया जी0एच0–3, सेक्टर–5 जानकीपुरम् विस्तार, लखनऊ।

विषयः– न्यू इंजीनियर्स इण्डिया के भूखण्ड संख्या–जी0एच0–3, क्षेत्रफल–4502.32 वर्गमी0 जानकीपुरम् विस्तार में प्रस्तावित समूह आवास भवन मानचित्र के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भवन मानचित्र प्राधिकरण के तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 23.04.2018 के मानचित्र सेल से सम्बन्धित विषय संख्या–11 पर विचारोपरान्त निम्न शुल्कों, अनापत्तियों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया गया है:–

1. क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क – रू0 1,13,42,500.00
2. शमन शुल्क – रू0 2,45,100.00
3. देय निरीक्षण शुल्क – रू0 34,600.00
4. अम्बार शुल्क – रू0 79,200.00 (2000 वर्गी0 से अधिक होने के कारण शपथ पत्र देने पर देय नही)
5. जल शुल्क – रू0 36,500.00
6. मानचित्र शुल्क – रू0 6,000.00
7. लेबर सेस – निर्माण लागत का 1 प्रतिशत धनराशि जमा करना होगा।
8. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति।

प्रतिबन्ध :–

1. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
2. रेनवाटर हावेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था शासनादेश के अनुसार करना होगा।
3. अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होगें।
5. भू–स्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
6. नेशनल बिल्डिग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
7. निर्माण के भूकम्प विरोधी होने सम्बन्धी भवन उपविधि में प्राविधानित स्ट्रक्चरल डिजाइन, ड्राइंग, प्रमाण पत्र आई0आई0टी0 से वैट कराकर मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करने होगें।
8. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।

क्रमशः

9. यह स्वीकृति मात्र ग्रुप हाउसिंग हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाऐगी।
10. वांछित विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर मानचित्र निर्गत की कार्यवाही की जायेगी।
11. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होग, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
12. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एंव लेवर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना
13. बेसमेन्ट का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
14. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा तथा सक्षम स्तर से वैट कराकर स्ट्रक्चरल ड्राइंग व डिजाईन प्रस्तुत करना होगा।
16. भू–स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हों तथा उसमें जल भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
17. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार वांछित शुल्क एक माह के अन्दर जमा करने (अन्यथा ब्याज देय होगा) तथा आई0आई0टी0 से स्ट्रक्चरल ड्राइंग, डिजाइन वैट कराकर एवं प्रतिबन्धों के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
(मानचित्र सेल)